न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 98/2024

अनवान : –

1. सवित्री देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनील घिंटाला अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/31 की कुल 4.4890 हैक्ट भुमि में से 2212/4489 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादीया का नाम सन्तरो पत्नी चुन्नीलाल दर्ज है जो कि गलत है वादीया का वास्तविक व सही नाम वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान आदि में सावत्री देवी दर्ज है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीया अपना सही नाम सावत्री देवी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजाराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल पत्रावली किया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया का सही नाम सावत्री देवी है जबकि राजस्व रिकार्ड में सन्तरो दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे वादीया का नाम सन्तरों के स्थान पर सावत्री देवी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/31 की कुल 4.4890 हैक्ट भुमि में से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2212/4489 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सन्तरो दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम सावत्री देवी है तथा वादीया के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी तस्दीक पेश कि गई है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/31 की कुल 4.4890 हैक्ट भुमि में से 2212/4489 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सन्तरो पत्नी चुन्नीलाल के स्थान पर सावत्री देवी पत्नी चुन्नीलाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सन्तरो के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सन्तरो के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सन्तरो ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 98/2024

अनवान : –

1. सवित्री देवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 98 सन 2024 निर्णय दिनांक –21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/31 की कुल 4.4890 हैक्ट भुमि में से 2212/4489 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सन्तरो पत्नी चुन्नीलाल के स्थान पर सावत्री देवी पत्नी चुन्नीलाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सन्तरो के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सन्तरो के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सन्तरो ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 21/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:47 IST
Reason: SelfAttested